संख्या–1034जेड/6–सा–1–12–4जी/2012

प्रेषक,

अजेय कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मंत्री,
उ0प्र0 स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान,
दरबारी लाल शर्मा भवन, लखनऊ।

गृह (सामान्य) अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 24 सितम्बर, 2012

विषय :वित्तीय वर्ष 2012–13 में मंत्री, उ0प्र0 स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान, लखनऊ के कार्यालय अधिष्ठान हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–112, क0सं0/19/2011/2012, दिनांक 24.08.2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान, लखनऊ के कार्यालय अधिष्ठान हेतु श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिये आय–व्ययक में मानक पद–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) मद में प्रावधानित कुल रू0 3,30,000/–(रू0 तीन लाख तीस हजार मात्र) के सापेक्ष वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 09.07.2012 के प्रस्तर 2 (7) में निहित व्यवस्थानुसार 50 प्रतिशत की सीमा तक लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 1,10,000/–(रू0 एक लाख दस हजार मात्र) को घटाते हुये अवशेष धनराशि **रू0 55,000/– (रू0 पचपन हजार मात्र)** आपके निस्तारण पर रखे जाने एवं तदनुसार व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय समस्त वित्तीय नियमों एवं स्थायी आदेशों के अनुसार किया जोयगा। धनराशि के प्रदेशन मात्र से ही व्यय करने का अधिकार नहीं हो जाता, जहॉ सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित हो, व्यय करने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर ली जाये। वर्तमान स्थिति में शासन के व्यय में मितव्ययिता नितांत आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी किये गये और जो भविष्य में जारी हों, शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाये। मुझे यह भी कहना है कि एक मद में स्वीकृत धनराशि शासन की बिना पूर्व अनुमति के दूसरी मदों में व्यय न की जाये।

3– वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि का कोषागार से किश्तों में आहरण सुनिश्चित किया जाय।

4– इस सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेश संख्या–बी–1–1515/दस–2012–231/2012, दिनांक 09 जुलाई, 2012 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

5— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–28 के लेखा शीर्षक "2251–सचिवालय–सामाजिक सेवायें–आयोजनेत्तर–200–अन्य योजनायें–04–उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सहायता संस्थान–20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)" के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

6— यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–1515/दस–2012–231/2012, दिनांक–09 जुलाई, 2012 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अजेय कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या–1034(1)जेड/6–सा–1–2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1— महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3— वरिष्ठ आडिट ऑफिसर (आडिट–प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15–थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4— मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5— निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6— निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7— वित्त (आय–व्यय) अनुभाग–1
8— वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–12
9— आहरण एवं वितरण अधिकारी।
10— इन्चार्ज, एन0आई0सी नेट सेल, नवीनभवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ।
11— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अजेय कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

2KP 12